हेतु

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

110

न्यायालय माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

पुर्नरीक्षण याचिका याचिकाकर्ता की ओर सेः–

PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2017/8338

यशवंतसिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपुत
निवासी– खजुरिया तह. बदनावर जिला धार .... **याचिकाकर्ता**

विरूद्ध

1– बनेसिंह पिता रायसिंह जाति राजपुत
2– रूगनाथसिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपुत
3– बलवंतसिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपुत
सभी निवासी ग्राम खजुरिया तह.बदनावर जिला धार ....**विपक्षीगण**

पुर्नरीक्षण धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 के तहत

माननीय महोदय,

यह पुर्नरीक्षण याचिका अधीनस्थ विद्वान न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील बदनावर के राजस्व प्रकरण कमांक 05/अ–13/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 03.10.2017 के विरूद्ध श्रीमान के समक्ष अंदर अवधि सविनय पेश है।

28/12/17
10/1/18

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निग./धार/भू.रा./2017/6338

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–1–2018	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार बदनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–10–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अनावेदक को अपनी भूमि पर जाने के लिये अंतरिम रूप से रास्ता दिया गया है । प्रकरण का अभी अंतिम निराकरण तहसीलदार के द्वारा किया जाना है जहॉ आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	